अध्याय–4

पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां:

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विर्निष्ट शक्तियों तथा कार्यो :

- कुछ कर्मचारियों, जैसे कि चपरासी, वैलिफ, पुलिस सिपाही, हवलदार, चौकीदार, सिचांई विभाग के गश्ती, वन रक्षक, पटवारी, टीका लगाने वाले, नहर निगरानी, ग्राम सेवक, आखेट रक्षक, पंचायत सचिव इत्यादि द्वारा अवचार के सम्बन्ध में जांच और रिपोर्ट करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई हैं।
- ग्राम पंचायतों को, भारतीय दण्ड संहिता, टीका अधिनियम, 1880, पशु अतिचार अधिनियम, 1871, हिमाचल प्रदेश किशोर धूम्रपान निषेद्ध अधिनियम, 1952, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867, तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई की शक्ति भी प्रदान की गई है।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट के अनुमोदन की शक्ति प्रदान करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों, गत वित वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गत अंकेक्षण पत्र के उतर यदि कोई हो पर विचार एवं उचित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये योजनाओं, कार्यक्रमों तथा बजट को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा यह भी अधिकृत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संतुष्ट होने पर उन पर व्यय की गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र को जारी करें।

- ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के निरीक्षण के लिए ग्राम सभा को सतर्कता समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है इससे सम्बन्धित रिपोर्ट इसकी बैठक में रखी जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी।
- पंचायतों को तीनों स्तरों पर विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने हेतू अधिकृत किया गया है कार्यो की तकनीकी स्वीकृति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, अंकेक्षण, संकर्म तथा कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 के परिशिष्ट 'घ' अनुसार तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता से ली जाएगी।
- ग्राम सभा की बैठकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष चार साधारण बैठकें होंगी जिसके लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई के पहले रविवार तथा 2 अक्तूबर को पूर्व निश्चित दिवस रखा गया है।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में उप ग्राम सभा गठित करने हेतु ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा क्षेत्र के उस वार्ड के सदस्य उप ग्राम सभा के सदस्य होंगे।
- तीनों स्तरों पर पचांयतों को स्थायी समितियां गठित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को, आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के लिए बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ऋण लेने के लिए अधिकृत किया गया है यदि परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वितीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई हो। हालांकि ग्राम पंचायतों को उधार लेने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करना और राज्य सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा।

- ग्राम पंचायतों को लोक सम्पति, जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं आपूर्ति योजनाओं, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, पम्पों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों, के संरक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इस सम्बन्ध में उल्लंघन होने पर ग्राम पंचायतें 1000/– रू0 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकती है और यदि उल्लंद्यन जारी रहता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शास्ति लगाने का भी प्रावधान है जो कि कुल मिला कर 5000/– रू0 तक की हो सकती है।
- ग्राम पचांयतों को कर, फीस, दण्ड तथा सेस अधिरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- यह अनिवार्य किया गया कि कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व तथा कल्याण विभाग के ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें।

(ख) समय–समय पर कार्यकारी आदेशों द्वारा हस्तांतरित शक्तियां एवं कार्यः

प्रजातंत्र को तृणमूल स्तर पर सुदृढ़ करने तथा पचांयती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी स्वशासन का निकाय बनाने हेतु राज्य सरकार ने 15 विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्य शक्तियां एवं दायित्व 31 जुलाई, 1996 को इन संस्थाओं को सौंपे गये हैं। यह व्यवस्था संविधान की 11वीं अनुसूचि के अन्तर्गत की गई है इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कार्यकारी आदेशों द्वारा पचांयती राज संस्थाओं को निम्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैः–

1 ग्राम पंचायतों द्वारा सूक्ष्म स्तरीय योजना को बनाना।

2 सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था के स्थान के चयन को निर्धारित करने की शक्तियां व ग्राम स्तर के कर्मचारियों के कार्य एवं उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां।

3 ग्राम स्तर की विभागीय समिति का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित स्थाई समितियों में एकीकरण।

4 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

5 पचांयती राज संस्थाओं को आयुर्वैदिक, एलोपैथिक तथा पशुपालन विभाग के डाक्टरों, स्कूल अध्यापकों, पटवारियों तथा वन रक्षकों की तैनाती स्थान पर उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

6 जिला परिषद के अध्यक्षों को अपनी–2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

7 कांटों द्वारा मछली पकड़ने से सम्बन्धी परमिट जारी करने हेतू ग्राम पचांयतों के प्रधान या उप प्रधान को अधिकृत किया गया है तथा व्यवसायिक मछुवारों को सामान्य तथा ट्राऊट मछलियों का परमिट जारी करने हेतू पचांयत समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है एवं इससे प्राप्त फीस सम्बन्धित पंचायतों के निधि का भाग होगी।

8 ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 1/– रू0 प्रति बोतल की दर से सैस एकत्रित करके एकत्रित राशि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरति करने का निर्णय लिया गया है और इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें विकासात्मक कार्यो के लिए करेंगी।

9 खनिज तथा खनन हेतु पट्टा जारी करने से पूर्व तथा खनिज पर आधारित इकाई को स्थापित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अनिवार्य बनाया गया है।